झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.12.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सरयू राय स0वि0स0	सरकारी भूमि को निहित स्वार्थी तत्वों के चंगुल से मुक्त करना, इनपर से अवैध कब्जा हटाना और जनहित एवं राज्यहित में ऐसे सरकारी भूखंडों का और सरकार की निधि से इनपर बने भवनों एवं अन्य अधोसंरचनाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना राज्य सरकार का दायित्व है। परन्तु पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में ठीक इसके उलट हो रहा है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के आदेश- 439/गो0 दिनांक- 06.03.2021 के अनुसार जिला प्रशासन की 9 सदस्यीय जाँच समिति ने पाया कि सिदगोड़ा, जमशेदपुर स्थित सूर्य मंदिर और सूर्य मंदिर परिसर की पूरी जमीन सरकारी है तथा इसपर अवस्थित सभी संरचनाएँ सरकार के विभिन्न मदों की निधियों से निर्मित है। उपायुक्त ने ज्ञापांक- 239 (A) खे0, दिनांक- 26.07.2022 द्वारा इसे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को हस्तगत कराने का आदेश दिया, जिसका प्रभार जेएनएसी ने दिनांक- 24.10.2022 को ले लिया। इसके बावजूद इस परिसर पर अनाधिकृत व्यक्तियों का समूह दबंगई दिखाकर कब्जा	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		जमाए हुए हैं और संरचनाओं का अवैध संचालन कर रहे हैं। परिसर में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति बार रू0 5 की वसूली कर रहे हैं। परंतु, जिला प्रशासन और जेएनएसी मूकदर्शक बने हुए हैं। अनाधिकृत कब्जा हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके कारण राज्य सरकार को रोजाना भू-राजस्व की क्षति हो रही है और निहित स्वार्थी समूहों द्वारा दबंगई दिखाकर सरकारी परिसम्पति पर कब्जा कर लेने से सरकार की साख पर सवाल खड़ा हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ और सूर्य मंदिर परिसर, सिदगोड़ा, जमशेदपुर को अवैध कब्जा से मुक्त करने एवं इसके विकास की समन्वित रूपरेखा तैयार करने की माँग करता हूँ। साथ ही इस परिसर को दबंगों से कब्जा मुक्त कराकर नागरिकों से अवैध वसूली करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।	
02-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	पशु पालन विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति/असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति लाभुक जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, को 90 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना में निर्धारित उम्र सीमा से कम उम्र की असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग योजना का लाभ लेने से वंचित रहने के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते है और उन्हें अपना जीवन-यापन करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वर्णित विभाग द्वारा संचालित योजना में असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग लाभुकों के लिए उम्र सीमा को समाप्त करते हुए योजना का लाभ दिया जाए।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
03-	श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूँटपानी अंचल के मौजा पान्ड्राशाली के खाता संख्या- 77, प्लॉट संख्या- 1298, रकबा- 73 डी0 हाल सर्वे सेटलमेंट में आदिवासी रैयत के नाम से दर्ज है। इस जमीन को उद्योग लगाने के नाम पर सीएनटी एक्ट की धारा-49 के तहत् **मेसर्स सिंहभूम मिनरल्स एंड सिलिका वर्क्स** चाईबासा के नाम से ली गयी और इस पर किसी प्रकार की औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं की गयी। बाद में इस जमीन को **मेसर्स सिंहभूम मिनरल्स एंड सिलिका वर्क्स** के एक पार्टनर श्री अशोक जैन के पुत्र श्री अक्षय जैन के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया और इस प्रकार इस आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को हस्तांतरित कर दी गयी। अतएव ऊपर वर्णित आदिवासी जमीन को उसके मूल रैयत को वापस कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
04-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग की स्वामित्व वाली जपला से नवीनगर (बिहार) सिवान) पथ की स्थिति एकदम ही जर्जर हो चुकी है। यह सड़क जहाँ घोर उग्रवाद प्रभावित सैकड़ों गाँवों के आमजनों के लिए लाईफ लाईन है, वहीं दूसरे राज्य बिहार की सीमा को भी लगती है। लेकिन विगत तीन-चार वर्षो से सड़क की स्थिति एकदम ही खराब हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण को लेकर सदन में माननीय प्रभारी मंत्री का आश्वासन भी प्राप्त है, इसके बावजूद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। मैं उक्त सड़क जपला से नवीनगर (बिहार) सिवान) तक पथ का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पथ निर्माण
05-	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0	विदित हो कि पूर्व विधायक, श्री बंधु तिर्की द्वारा राँची जिला में भू-माफियाओं एवं सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से दस्तावेज में फेरबदल कर एवं सरकारी रिकॉड में छेड-छाड़ करते हुए रैयती एवं गैर-मजरूआ	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		भूमि की बन्दरबाँट के मामले पर माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्रांक- सं0- 301034/RAN/2020, दिनांक- 29.09.2020 के आलोक में भवदीय द्वारा संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को त्वरित कार्रवाई हेतु आदेशित किया था। इस संदर्भ में विभागीय सचिव के अर्द्ध सरकारी पत्रांक--6/जाँच प्रतिवेदन- (राँची प्र0)-225/2020 2710/रा0, राँची, दिनांक-01.10.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक- 31.10.2020 तक सौंपने को कहा गया। इस पर दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डलीय आयुक्त के प्रेषित पत्रांक- सं0-1407, दिनांक- 17.10.2020 राँची जिला के भूमि संबंधित 15 मामलों की जाँच हेतु उपायुक्त को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया था, परन्तु 2 वर्ष की लम्बी अवधि गुजर जाने के उपरान्त फलाफल परिणाम नजर नहीं आया। अतः उक्त रैयती एवं गैर-मजरूआ भूमि की फर्जी तरीके से जमाबन्दी एवं अवैध खरीद-बिक्री को रद्द करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-50/2022-2433/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/12/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/22

((एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-50/2022-2433/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/12/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

20.12.22